

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :- हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या - 140/2018/223 आर टी ए

1. कुलदीप सिंह पुत्र भगवान जाति अराई निवासी मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज.
2. बलविन्द्र सिंह पुत्र भगवान जाति अराई निवासी मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज.

—अपीलांट

बनाम

1. रमेश कौर पत्नि सम्पूर्ण सिंह जाति अराई निवासी मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज.
2. अमर सिंह पुत्र प्रीतम सिंह जाति अराई निवासी मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज.
3. तारा सिंह पुत्र प्रीतम सिंह जाति अराई निवासी मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज.
4. कर्म सिंह पुत्र प्रीतम सिंह जाति अराई निवासी मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज.
5. चतर सिंह पुत्र प्रीतम सिंह जाति अराई निवासी मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज.
6. मान सिंह पुत्र प्रीतम सिंह जाति अराई निवासी मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज.
7. धर्म सिंह पुत्र प्रीतम सिंह जाति अराई निवासी मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज.
8. मलकीत सिंह पुत्र धनपत सिंह जाति अराई निवासी मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज.
9. गुरमीत कौर पुत्री नर सिंह जाति अराई निवासी मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज.
10. छिन्द्र कौर पुत्री नर सिंह जाति अराई निवासी मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज.

11. ईश्वर सिंह पुत्र नर सिंह जाति अराई निवासी मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज.
12. जिन्द्र सिंह माता प्रसन्न कौर जाति अराई निवासी मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज.
13. दर्शनी माता प्रसन्न कौर जाति अराई निवासी मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज.
14. गुरबचन सिंह माता द्रोपती पत्नि दयाल सिंह जाति अराई निवासी मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज.
15. इकबाल सिंह माता इन्द्रकौर पत्नि मंगल सिंह जाति अराई निवासी मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज.
16. बलवीर सिंह माता इन्द्रकौर पत्नि मंगल सिंह जाति अराई निवासी मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज.
17. सरजीत सिंह माता इन्द्रकौर पत्नि मंगल सिंह जाति अराई निवासी मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज.
18. सरजीत सिंह पुत्र रामकिशन सिंह जाति अराई निवासी मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज.
19. नायब सिंह पुत्र रामकिशन सिंह जाति अराई निवासी मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज.
20. अजायब सिंह पुत्र रामकिशन सिंह जाति अराई निवासी मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज.
21. जवाहर सिंह पुत्र हरि सिंह जाति अराई निवासी मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज.
22. ईश्वर सिंह पुत्र हरि सिंह जाति अराई निवासी मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज.
23. तरसेम सिंह पुत्र हरि सिंह जाति अराई निवासी मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज.
24. रामप्यारी पत्नि हमीर सिंह जाति अराई निवासी मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज.
25. सोमी पत्नि वीर सिंह जाति अराई निवासी मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज.

26. भाग सिंह पुत्र कुलवंत सिंह पुत्र प्रभुराम जाति अराई निवासी मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज.
27. हरबंस सिंह पुत्र कुलवंत सिंह पुत्र प्रभुराम जाति अराई निवासी मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज.
28. प्रताप सिंह पुत्र गुरनाम सिंह पुत्र प्रभुराम जाति अराई निवासी मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज.
29. जगराज सिंह उर्फ जगर सिंह पुत्र प्रभुराम जाति अराई निवासी मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज.
30. तारा सिंह उर्फ ताराचंद पुत्री प्रभुराम जाति अराई निवासी मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज.
31. चैना देवी पत्नि वेद सिंह पुत्री प्रभुराम जाति अराई निवासी मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज.
32. मेजर सिंह पुत्र वेद सिंह जाति अराई निवासी मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज.
33. तरसेम सिंह पुत्र प्रभुराम जाति अराई निवासी मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज.
34. गुलाबो पुत्री प्रभुराम जाति अराई निवासी मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज.
35. तारादेवी पुत्री प्रभुराम जाति अराई निवासी मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज.
36. रज्जोरानी पत्नि जिलेदार सिंह जाति अराई निवासी मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज.
37. गुरमेल सिंह पुत्र जिलेदार सिंह जाति अराई निवासी मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज.
38. सतवीर कौर पुत्री जिलेदार सिंह जाति अराई निवासी मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज.
39. सोनिया पुत्री जिलेदार सिंह जाति अराई निवासी मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज.
40. बन्ता सिंह पुत्र प्रताप सिंह जाति अराई निवासी मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज.

41. रोशन देवी पत्नि कृपाल सिंह जाति अराई निवासी मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज.
42. अमरजीत सिंह पुत्र कृपाल सिंह जाति अराई निवासी मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज.
43. सुमन पुत्री कृपाल सिंह जाति अराई निवासी मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज.
44. रानी पुत्री कृपाल सिंह जाति अराई निवासी मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज.
45. राजेन्द्र कौर पुत्री कृपाल सिंह जाति अराई निवासी मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज.
46. सतपाल सिंह पुत्र कर्म सिंह उर्फ करनेल सिंह जाति अराई निवासी मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज.
47. महेन्द्र कौर पत्नि सरजीत सिंह जाति अराई निवासी मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज.
48. प्रकाशोदेवी पुत्री सरजीत सिंह जाति अराई निवासी मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज.
49. प्रकाश सिंह पुत्र सरजीत सिंह जाति अराई निवासी मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज.
50. बलविन्द्र सिंह पुत्र सरजीत सिंह जाति अराई निवासी मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज.
51. रामपाल सिंह पुत्र कर्म सिंह उर्फ करनेल सिंह जाति अराई निवासी मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज.
52. सम्पूर्ण सिंह पुत्र कर्म सिंह उर्फ करनेल सिंह जाति अराई निवासी मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज.
53. गुरदेव सिंह पुत्र कर्म सिंह उर्फ करनेल सिंह जाति अराई निवासी मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज.
54. भानकौर पत्नि अजीत सिंह जाति अराई निवासी मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज.
55. जसवंत सिंह पुत्र अजीत सिंह जाति अराई निवासी मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज.

56. सुनीता रानी पुत्री अजीत सिंह जाति अराई निवासी मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज.
57. लक्ष्मी पुत्री कर्म सिंह उर्फ करनेल सिंह जाति अराई निवासी मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज.
58. जगीन्द्र सिंह पुत्र अमर सिंह जाति अराई निवासी मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज.
59. प्रीतम सिंह पुत्र अमर सिंह जाति अराई निवासी मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज.
60. कर्म सिंह पुत्र अमर सिंह जाति अराई निवासी मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज.
61. मेजर सिंह पुत्र जसवंत सिंह जाति अराई निवासी मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज.
62. मुख्तार सिंह पुत्र ताराचंद जाति अराई निवासी मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज.
63. गोविन्द सिंह पुत्र संता सिंह जाति अराई निवासी मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज.
64. जसपाल सिंह पुत्र अर्जन सिंह जाति अराई निवासी मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज.
65. नायब सिंह पुत्र अर्जन सिंह जाति अराई निवासी मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज.
66. गुरजंट सिंह पुत्र अर्जन सिंह जाति अराई निवासी मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज.
67. अजायब सिंह पुत्र अर्जन सिंह जाति अराई निवासी मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज.
68. गुरतेज सिंह पुत्र अर्जन सिंह जाति अराई निवासी मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज.
69. ओ.बी.सी. बैंक , नगराना ।
70. एस.बी.आई. बैंक , लीलावाली ।
71. तहसीलदार राजस्व संगरिया ।

— रेस्पोंडेंटस

अपील विरुद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 02.05.2018 न्यायालय सहायक क्लैक्टर संगरिया प्रकरण सं. 10/2017अनवानी रमेश कौर बनाम अमरसिंह आदि उपस्थित :-

श्री राजीव कुलश्रेष्ठ अधिवक्ता अपीलांटस

श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 71

निर्णय

दिनांक:-14.06.2018

1. प्रकरण के सारगर्भित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पो0 सं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88 व 53 आरटीए पेश किया, जिसमें अपीलांट ने अपना जवाबदावा मय काउंटर क्लेम पेश कर दावे को खारिज करने व काउंटर क्लेम को स्वीकार किये जाने का अनुतोष चाहा गया। जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रतिवादीगण का काउंटर क्लेम पूर्ण रूप से डिक्री कर प्राथमिक डिक्री पारित की लेकिन विचारण न्यायालय द्वारा अपने क्रियात्मक आदेश में अंतिम तीन पक्तियां लिखते हुए अपीलांट का काउंटर क्लेम एक प्रकार से निरस्त कर दिया क्योंकि विचारण न्यायालय द्वारा चक 19 एमकेएस के खाता सं. 46/43 प.न. 157/235 मु.न. 41 कि.न. 8 व 13 तक ही विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की है।
2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांटस ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री तर्कहीन विधि विरुद्ध व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य का सही विवेचन न किये जाने के काबिले खारिज है। विचारण न्यायालय द्वारा वादी का वाद आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए केवल वादिया की हद तक 2 बीघा कृषि भूमि का विभाजन प्रस्ताव मंगवाकर कानूनी भूल की है विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट का काउंटर क्लेम पूर्ण रूप से डिक्री किया गया लेकिन विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट का काउंटर क्लेम डिक्री किये जाने के उपरांत भी अपीलांट के हक व हिस्सा भूमि के संदर्भ में विभाजन प्रस्ताव न मंगवाकर कानूनी भूल की है। विचारण न्यायालय द्वारा जब वादपत्र एवं काउंटर क्लेम स्वीकार कर प्राथमिक डिक्री पारित की गई है तो काउंटर क्लेम व वादपत्र में वर्णित समस्त भूमि के संबंध में विभाजन

प्रस्ताव मंगवाया जाना था। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जावे।

4.

5. विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 71 ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रकरण में विधि अनुसार निर्णय पारित करते हुए प्रकरण का निस्तारण किया जावे।

6. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली का अवलोकन करने एवं बहस सुनने के उपरांत निष्कर्ष है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अपीलाधीन निर्णय में उल्लेखित किया गया है कि "वादिया का वादपत्र व प्रतिवादी सं. 8, 9 व 25, 26 का काउंटर क्लेम आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर वादपत्र मय काउंटर क्लेम प्राथमिक डिक्री किया जाता है। तहसीलदार को वादपत्र तथा काउंटर क्लेम की चित्रप्रति भिजवाकर रिकार्ड व मौका पर कब्जा की स्थिति अनुसार माननीय राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना की जाकर अच्छी मंदा, खाला रास्ता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विभाजन प्रस्ताव मंगवाने हेतु तहसीलदार राजस्व संगरिया को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है एवं निर्देशित किया जाता है कि प्रस्ताव मय नजरी नक्शा तैयार कर पेश करें। विभाजन प्रस्ताव हेतु तहसीलदार राजस्व संगरिया को पत्र जारी हो। प्राथमिक डिक्री वादग्रस्त आराजी तहसील संगरिया के चक 19 एमकेएस के खाता सं. 46/43 प.न. 157/235 मु.न. 41 कि.न. 8 व 13/0.253 है0 प्रत्येक कुल 0.506 है0 की हद तक जारी हो।" इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय की प्रारम्भिक पंक्तियों में तो वादपत्र एवं काउंटर क्लेम स्वीकार किये जाकर प्राथमिक डिक्री किया गया है परन्तु अन्तिम पंक्तियों में केवल वादपत्र में वर्णित अनुसार वादिया की हद प्राथमिक डिक्री जारी किये जाने का आदेश पारित किया गया है जो विधिसम्मत नहीं है। क्योंकि विभाजन के वाद में जब वादपत्र या काउंटर क्लेम स्वीकार किये जाकर प्राथमिक डिक्री किये जाते हैं तो विभाजन प्रस्ताव भी वादपत्र एवं काउंटर क्लेम में वर्णित भूमि के संबंध में तैयार किया जाना है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादपत्र एवं काउंटर क्लेम स्वीकार कर प्राथमिक डिक्री किये जाने के उपरांत भी प्राथमिक डिक्री केवल वादपत्र में वर्णितानुसार

वादिया की भूमि की हद तक जारी किये जाने आदेश दिया गया है जो पुष्टि योग्य नहीं होने के कारण अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

7. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 02.05.2018 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का पुनः अवसर प्रदान करते हुए दस्तावेजी साक्ष्य एवं सबूतों के आधार पर वादपत्र में पुनः नये सिरे निर्णय पारित करें। निर्णय एक प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जावें। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 16.07.2018 को पेश हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 14.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर..ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official